संख्या– 04 /XXVII(7)50(16)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांकः04 जनवरी, 2017**

विषयः– सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में नयी वेतन संरचना में वेतन निर्धारण।

महोदय,

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ अनुमन्य किये जाने के दृष्टिगत वित्त विभाग द्वारा **"उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016"** प्रख्यापित किये गये हैं जिसमें नयी वेतन संरचना (Pay Matrix) में वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है।

2. पूर्व में यह देखा गया है कि वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा गलत वेतन निर्धारण किये जाने के कारण शासन को वित्तीय हानि उठानी पड़ी है एवं कतिपय मामलों में न्यायालयों में विधिक वाद का सामना करना पड़ रहा है। उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन का निर्धारण **ekosh.uk.gov.in** में साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाय। जिससे किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न न हो और नियमों के आलोक में सभी कार्मिकों का वेतन निर्धारण समान रुप से किया जा सके। साथ ही किसी कार्मिक को गलत वेतन निर्धारण किये जाने की शिकायत का मौका भी न मिले।

3. उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि निदेशक, कोषागार के **web Portel** पर उल्लिखित **ekosh.uk.gov.in** में वेतन निर्धारण सम्बन्धी साइट में वांछित सूचना अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि इस माह का वेतन नयी वेतन संरचना (Pay Matrix) में निर्धारित करते हुये राज्य कार्मिकों को उक्त का लाभ अनुमन्य किया जा सके।

4. उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की अस्पष्टता/कठिनाई/सुझाव हो तो कृपया ekosh हेल्प लाइन नं0 **0135-3041613** एवं **88 99 89 00 00** से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– \ /XXVII(7)50(16)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।